चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 02.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 02.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 02.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सभागार मानिकपुर में किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त समस्याओं के निस्तारण रजिस्टर का परीक्षण करते हुए निस्तारण आख्या को देखकर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है, उन समस्याओं के निस्तारण से समस्या ग्रस्त व्यक्ति को भी अवगत कराया जाए। अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के सम्बन्धित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

महोदय द्वारा कहा गया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर भूमि सम्बन्धी मामलों को प्राथमिकता के साथ निस्तारित किया जाये।

(4). शासन की मनसा अनुरूप जन समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी०एन० व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तहसील सभागार कर्वी में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों से संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर त्वरित स्थलीय निरिक्षण कर निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा की जनसुनवाई में जमीन, नाला, चकरोड, तालाब, विदुत, जल जीवन मिशन से संबंधित जो समस्याएं आती है उसका निस्तारण गुणवत्ता पूर्ण कराए। जिलाधिकारी एंव पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जमीन संबंधित समस्या को पुलिस एवं राजस्व की संयुक्त टीम बनाकर स्थलीय निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण कराया जाए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी श्री प्रत्युष कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा सहित तहसीलदार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह,प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार उपस्थित रहे।

(5). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 02.08.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 124/2016 धारा 323 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त अवधेश आरख पुत्र चुनकावन निवासी ग्राम हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

<u>संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनाँक 24.08.2016 को वादी श्री राजेश कुमार कोल पुत्र गंगा कोल निवासी ग्राम हेला थाना मानिकपुर द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दिया गया था कि अभियुक्त रामप्रसाद व अवधेश द्वारा वादी के साथ गाली गलौज, मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना । इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 124/2016 धारा 323,504 भादवि0 व 3(2)5क एससी/एसटी एक्ट बनाम अभियुक्त 1.रामप्रसाद उर्फ रामकुशल 2.अवधेश आरख पुत्र

चुनकावन निवासीगण ग्राम हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत कराया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री भानुप्रकाश को सुपुर्द की गयी। विवेचक उपरोक्त द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दिनांक 28.01.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एण्टी डकैती कोर्ट /अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं आज दिनांक 02.08.2025 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 46/2014 धारा 148,149,307,427 भादवि0 व 12/14 डीए एक्ट के आरोपी अभियुक्त जुग्गी पटेल पुत्र धुन्नी पटेल निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।